

॥ प्रारूप ख ॥

((देखिये नियम 9(3)4 और (f))

कार्यालय विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक

क्रमांक: राजस्व/2017/1437

दिनांक : 28.11.2017


:: संपरिवर्तन आदेश ::

निदेशक, आशुतोष पी.जी. महाविद्यालय (आशुतोष पब्लिक स्कूल समिति) मण्डाभीम सिंह तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर निदेशक रामधन पुत्र जालूराम डीडल जाति जाट के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इस के द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी प्रविष्टियां नीचे दी गई है:-

1.	आवेदन खातेदार अभिचारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	निदेशक, आशुतोष पी.जी. महाविद्यालय (आशुतोष पब्लिक स्कूल समिति) मण्डाभीम सिंह तह0 किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर निदेशक रामधन पुत्र जालूराम डीडल जाति जाट
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं।
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा - 1. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम 2. भूमि का ख. नं. और प्रत्येक ख. नं. का क्षेत्रफल 3. प्रत्येक ख. नं. के क्षेत्रफल का उपदर्शिता करते हुए संपरिवर्तन हैक्टर या वर्गमीटर में।	ग्राम एवं पंचायत मण्डाभीमसिंह, तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर। ख. नं. 339 रकबा 4.09 बीघा एवं ख.नं. 1541/339 रकबा 0.10 बीघा किता-2 कुल 4.19 बीघा ख. नं. 339 में से 8726.20 व.मी. एवं ख. नं. 1541/339 में से 1264.60 व.मी. कुल 9990.80 वर्गमीटर भूमि रूपान्तरित की गई।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	9.31/- प्रतिवर्गमीटर।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चा. सं. 138 जीआरएन 0014527646 दिनांक 21.01.2017 राशि 25,000/-, चा. सं. 30 जीआरएन 0017368210 दिनांक 20.06.2017 राशि 1,03,340/- कुल राशि 1,28,340/- (राउण्ड अप) राजकोष में जमा की गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो तो जमा कराई गई रकम	उपर्युक्त बिन्दु संख्या 6 में सम्मिलित है।
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो तो जमा कराई गई रकम	नहीं।
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं।
10.	अन्य प्रविष्टियां यदि कोई हो	आवेदित ख0न0 1541/339 रकबा 0.10 बीघा भूमि में निर्माण होने से चार गुना शास्ति अधिरोपित कर निर्माण का नियमितिकरण किया गया है।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पहृत हो जायेगा।
3. नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तन भूमि पर पहुंच है उसके पास इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क हेतु छोड़ी गई भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.6.07 एवं प.6(6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
7. आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 300 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
8. राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।
9. संपरिवर्तन भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.65(310) एसई/स्थनि/जैसरो/ 2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होंगी।



उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

दिनांक : 28.11.2017

क्रमांक: राजस्व/2017/1438-42

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार कि० रेनवाल ।
2. तहसील राजस्व लेखाकार कि० रेनवाल ।
3. पटवारी हल्का मण्डाभीमसिंह तह. कि. रेनवाल ।
4. ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह ।
5. निदेशक, आशुतोष पी.जी. महाविद्यालय (आशुतोष पब्लिक स्कूल समिति) मण्डाभीम सिंह तह० किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर निदेशक रामधन पुत्र जालूराम डीडल जाति जाट ।


उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक